हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 27.10.2021 को श्रीयुत ए. वन मिनरल्स, श्री. राजेश गर्ग, मकान न: 603 , सेक्टर 7 , पंचकूला, हरियाणा की मौजा मोहाल बाँगरन खसरा नंबर 368/288/239/1, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) (4.6361 हेक्टेयर) भूमि पर रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन (क्षमता 44640 टन प्रति वर्ष) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 27.10.2021 को श्रीयुत ए. वन मिनरल्स, श्री. राजेश गर्ग, मकान न: 603 , सेक्टर 7 , पंचकूला, हरियाणा की खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई मंदिर भवन, गाँव बांगरन, तहसील पाँवटा साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में संपन्न की गई। प्रस्तावित **खनन पट्टा मौजा मोहाल बाँगरन, खसरा नंबर 368/288/239/1, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) (4.6361 हेक्टेयर) भूमि पर रेत, बजरी, पत्थर व बोल्डर खनन (क्षमता 44640 टन प्रति वर्ष)** हेतु, ई. आई. ऐ. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन उपायुक्त सिरमौर की अध्यक्षता में किया गया। इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि **संलग्न-1** में उपलब्ध है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई की पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया।

तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावकों एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया।

अन्त मे कंपनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

क्रम संख्या	नाम व पता	उठाये गए मुद्दे	मुद्दों पर टिपण्णी
1	श्री पवन शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय पांवटा साहिब	परिवेशी वायु गुणवत्ता जांच रिपोर्ट में PM 10 की मात्रा कितनी पाई गई?	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि उच्चतम मात्रा 53.40 μg/Nm^3 सिंगपुरा क्षेत्र की पाई गई।
2.	श्री राम कुमार गौतम, उपायुक्त जिला सिरमौर	परिवेशी वायु गुणवत्ता की कितने समय के लिए जांच की गई व इसकी न्यूनतम मात्रा किस क्षेत्र में पाई गई? **श्री राम कुमार गौतम, उपायुक्त जिला सिरमौर** ने प्रश्न किया कि सिंगपुरा गांव की न्यूनतम मात्रा कितनी पाई गई?	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि वायु गुणवत्ता की 24 घंटे के लिए जांच की गई वह इसकी न्यूनतम मात्रा 38.50 μg/Nm^3 शमशेरगढ़ गांव में पाई गई। परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि सिंगपुरा गांव की मात्रा 44.80 μg/Nm^3 पाई गई।

		उपायुक्त जिला सिरमौर ने प्रश्न किया कि जहां से खनन का माल ढुलान होगा क्या उसके बीच कोई गांव पड़ेगा? उपायुक्त जिला सिरमौर ने प्रश्न किया कि परियोजना की लागत मूल्य में क्या-क्या शामिल हैं?	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि खनन पट्टे से लेकर क्रेशर साइट तक जो खनन का माल ढुलान होगा उसके बीच में कोई गांव नहीं पड़ता है। परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि लगभग ₹ 20 लाख की परियोजना लागत मूल्य में वर्किंग कैपिटल व मशीनरी सम्मिलित है। उपायुक्त जिला सिरमौर ने कहा कि परियोजना लागत मूल्य व्यापक नहीं है तथा इसमें सब तरह का निवेश सम्मिलित किया जाए तथा परियोजना लागत मूल्य दोबारा संशोधन किया जाए। 2% सी.एस. आर में भी इसी तरह दोबारा संशोधन किया जाए। टॉयलेट की लागत में भी संशोधन किया जाए तथा अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन भी सुनिश्चित किया जाए जैसे कि इसमें बायोडायजेस्टर या मोबाइल टॉयलेट का प्रावधान किया जाए।
3	श्री मोहन सिंह गांव शमशेरगढ़	इन्होने कहा कि अगर गांव वालों को रोजगार मिले तो इस खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।	
4	मिंटू राम, गांव बाँगरन	इन्होने कहा कि स्थानीय गांव के ट्रैक्टर चलाने वालों को रोजगार मिले तथा परियोजना प्रबंधक धूल उड़ने से वायु प्रदूषण की जो समस्या होती है उसे कम करने का भी उचित प्रयास करें ।	परियोजना प्रबंधक ने कहा कि इस खनन परियोजना के लिए दिन में 5 ट्रैक्टरों की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए स्थानीय गांव के ट्रैक्टर वालों को ही रोजगार की प्राथमिकता दी जाएगी तथा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हर रोज सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा।
5	श्री सुप्रभात ठाकुर वन खंड अधिकारी पांवटा साहिब	इन्होने कहा कि खनन किए गए खनिजों के परिवहन के लिए वन विभाग की जमीन का उपयोग न किया जाए तथा खनन मालिकों	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि इस खनन परियोजना में किसी प्रकार की वन विभाग की जमीन खनन के माल परिवहन करने के बीच मौजूद नहीं है।

		द्वारा वन विभाग की जमीन पर मजदूरों के रहने के लिए कैंप स्थापित किए जाते हैं जिससे वन के साधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।	
6	श्री पवन शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय पांवटा साहिब	क्या इस खनन परियोजना में मजदूरों के स्थाई निवास स्थान का भी प्रावधान है?	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि कोई भी प्रवासीय मजदूर खनन पट्टे के आसपास अपने लिए अस्थाई निवास नहीं लगाएगा।
7	श्रीमती तारो देवी, ग्राम पंचायत फूलपुर	इन्होने कहा कि स्थानीय लोगों को ही रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाए।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि स्थानीय लोगों को ही रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी एवं खनन से निकला रेत व बजरी स्थानीय लोगों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
8	श्री प्रकाश, गांव बाँगरन	इन्होंने कहा कि क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेरे घर के निर्माण के लिए अपने खनन पट्टे से बड़े पत्थर उठाने की अनुमति दी जाएगी?	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि श्री प्रकाश जी को उनके खनन पट्टे से बड़े पत्थर दिए जाएंगे ताकि वह इनका उपयोग अपने घर के निर्माण कार्य में कर सके।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के सन्दर्भ मे अपने विचार / सुझाव / आप्पतियाँ प्रकट करने का आह्वान किया गया। जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों ,सुझावों, विचारों और टिप्पणियों को नोट किया गया है एवं इसे जनसुनवाई की कार्यवाही में कलमबद्ध कर आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा।

अंत मे जनसुनवाई के समापन पर ज़िलाधीश महोदय ने सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया।

उपायुक्त
नाहन,जिला सिरमौर (हि. प्र.)